भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1623

जिसका उत्तर 10 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है ।

19 अग्रहायण, 1947 (शक)

साइबर सुरक्षा संपरीक्षा

1623. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री जय प्रकाश:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा संपरीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सीईआरटी-इन द्वारा कौन से दिशानिर्देश, प्रशिक्षा कार्यक्रम और चेतावनी प्रणालियां कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता अभियान, साइबर हेल्पलाइन और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** भारत सरकार, भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित साइबर खतरों से अवगत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) नियमित रूप से साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा करते हैं।

सर्ट-इन ने जुलाई 2025 में एक व्यापक साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा हर वर्ष कम से कम एक बार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित सभी क्षेत्रों में सुसंगत, प्रभावी और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाना होता है।

एनसीआईआईपीसी समय-समय पर महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना/संरक्षित प्रणालियों की सुभेद्धताओं और जोखिमों का मूल्यांकन करती है और सभी संबंधितों को प्रतिक्रिया देती है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) देश भर में अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना की व्यापक वार्षिक साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा भी करता है।

हिसार और सोनीपत जिला कार्यालय में एनआईसी आईसीटी बुनियादी ढांचे का साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित किया गया है।

साइबर इकोसिस्टम की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल किए गए हैं -

- सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों में साइबर सुरक्षा कार्यबल को कौशल प्रदान करने के लिए उद्योग भागीदारों के सहयोग से सर्ट-इन द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

- साइबर सुरक्षा की स्थिति और सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारियों के आकलन के लिए सर्ट -इन द्वारा साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल किए जाते है।
- सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियों के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षा करने के लिए सर्ट -इन द्वारा 231 सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया गया।
- सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सर्ट -इन द्वारा साइबर संकट प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जाएगी।
- नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्धताओं और प्रतिउपायों के संबंध में सर्ट -इन द्वारा निरंतर आधार पर चेतावनियाँ और परामर्शी निदेश जारी किए जाते है।
- सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत, 4,125 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जो शिक्षाविदों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 9.25 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंची हैं।
- बहुभाषी जागरूकता सूचना सामग्री जैसे हैंडबुक, वीडियो, पोस्टर और सलाह (डीपफेक सहित) व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं।
- जागरूकता संसाधन www.staysafeonline.in, www.infosecawareness.in और www.csk.gov.in जैसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता माह *और* सुरक्षित इंटरनेट दिवस *जैसे जन जागरूकता अभियान* ऑनलाइन सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं।
- देश में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी करने वाली सभी प्राधिकृत संस्थाओं/बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर सर्ट -इन के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करने की सलाह देना।
    - निष्कर्षों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं।
- आरबीआई का जन जागरूकता अभियान 'आरबीआई कहता है' लोगों को डिजिटल भुगतान विकल्पों के बारे में सूचित करता है और उन्हें इसके सुरक्षित, सरंक्षित और सुविधाजनक रूप से उपयोग के बारे में बताता है
- गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को परामर्शी निदेश दिए जाते है।
- संचार मित्र (छात्र स्वयंसेवक - दूरसंचार विभाग) स्थानीय भाषाओं में संचार के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और संचार साथी पोर्टल के उपयोग के बारे में शिक्षित करते हैं।

******